

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़ 1942 (श0) (सं0 पटना 373) पटना, सोमवार, 22 जून 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 22 जून 2020

एस॰ ओ॰ 131, दिनांक 22 जून 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सहित विश्व के कई देशों में कोविड-19 महामारी के फैलाव की दृष्टि से, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करते हैं कि उन मामलों में जहां पूर्णतः या भागतः प्रतिदाय दावे को नामंजूर करने के लिए नोटिस दिया गया है और जहां उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (7) के साथ पठित उपधारा (5) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार आदेश जारी करने की समय-सीमा 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 तक की अविध के दौरान है, ऐसी दशा में, उक्त आदेश को जारी करने के लिए समय-सीमा रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् पंद्रह दिनों तक या 30 जून, 2020 तक जो भी बाद का हो, विस्तारित हो जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त होगा ।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—8)1110)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

22 जून 2020

एस० ओ०. 131, दिनांक 22 जून 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—8)1110)]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 22nd June 2020

S.O. 131, Dated 22nd June 2020— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), in view of the spread of pandemic COVID-19 across many countries of the world including India, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies that in cases where a notice has been issued for rejection of refund claim, in full or in part and where the time limit for issuance of order in terms of the provisions of sub-section (5), read with sub-section (7) of section 54 of the said Act falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, in such cases the time limit for issuance of the said order shall be extended to fifteen days after the receipt of reply to the notice from the registered person or the 30thday of June, 2020, whichever is later

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)1110)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 373-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in